

**रेलवे**

**आरक्षण/रहकरण मांग पत्र**

यदि आप डॉक्टर हैं तो कृपया बाक्स में सही (✓) का निशान लगाएं (आपात स्थिति में आपसे मदद ली जा सकती है)

डॉ

--

--

--

यदि आप गर्भवती महिला हैं और कोटे के अंतर्गत वर्थ आरक्षित कशना चाहती हैं तो कृपया बाक्स में (✓) का निशान लगाएं.

यदि हाँ, तो कृपया पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.

यदि आप वरिष्ठ नागरिक रियायत चाहते हैं तो कृपया बाक्स में हाँ/नहीं लिखें.

(यदि हाँ, तो कृपया वर्तमान रेलवे नियमों के अंतर्गत प्रभार से बचने के लिए यात्रा के दौरान आयु का प्रमाण साथ रखें)

यदि आप वरिष्ठ नागरिक संबंधी रियायत छोड़ना चाहते हैं तो कृपया रियायती राशि का वह अंश, जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, को दर्शाएं: 50%  अथवा 100%

क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं तो कृपया बाक्स में हाँ/नहीं लिखें.

(यदि इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो पूरे किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों को स्वतः अपग्रेड किया जा सकता है)

यदि आप गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की नृतीय वातानुकूलित श्रेणी या दूरंतो एक्सप्रेस ट्रेन की स्लीपर श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं तो क्या आप गाड़ी में बेडरोल चाहते हैं? बाक्स में हाँ/नहीं लिखें.

गाड़ी सं. और नाम.....

यात्रा की तारीख.....

श्रेणी.....

शायिकाओं/सीटों की सं. ....

स्टेशन से.....

जिस स्टेशन तक.....

यात्रा आवध करने का स्टेशन.....

स्टेशन तक आरक्षण.....

मोबाइल सं. ....

(एसएमएस के जरिए पौ.एन.आर.की अद्यतन स्थिति बताने के लिए)

क्र.सं.	नाम स्पष्ट अक्षरों में ( 15 अक्षरों से अधिक न हो)	राष्ट्रीयता	विंग ( पु. /स्त्री) या ट्रांस.	आयु	रियायत/ यात्रा प्राधिकार सं.	वर्थ की प्राथमिकता यदि कोई हो (निचली वर्थ/कृपरी वर्थ) यदि 5वर्ष की आयु तथा 12 वर्ष से कम की आयु के बच्चे के लिए वर्थ अपेक्षित नहीं हो, तो एनओएसबी लिखें	राजधानी/शताब्दी/द्वितीय रेलगाड़ियों के लिए खाने का विकल्प	
							शाकाहारी	मांसाहारी
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

5 साल से कम आयु के बच्चे (जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं)

क्र. सं.	नाम स्पष्ट अक्षरों में	लिंग - ( पु. /स्त्री) या ट्रांस.	आयु
1.			
2.			

आगे की / वापसी यात्रा का विवरण

गाड़ी सं. और नाम..... यात्रा की तारीख.....

श्रेणी..... स्टेशन से..... स्टेशन तक.....

आवेदक का नाम.....

पूरा पता.....

टेलीफोन नं./ मोबाइल नं. (यदि कोई हो)..... यात्रा की तारीख..... समय.....

आवेदक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

केवल सरकारी प्रयोग के लिए  
मांग पत्र की क्रम सं. .... पौ.एन.आर. सं....  
शायिका / सीट सं..... वसूल की गई राशि .....

आरक्षण लिपिक के हस्ताक्षर

नोट: 1. एक मांग-पत्र के साथ अधिक से अधिक 6 व्यक्तियों के नाम दिए जा सकते हैं, (तत्काल टिकट को छोड़कर)

2. एक व्यक्ति एक बार में केवल एक मांग-पत्र दे सकता है, (उसी पार्टी की आगे की/वापसी यात्रा के मामलों को छोड़कर)

3. कृपया खिड़की छोड़ने से पहले अपनी टिकट और शेष राशि की जांच कर लें।

4. ठीक ढंग से न भरे गए या अपार्टमेंट स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

5. वर्थ संबंधी विशेष मांग पर केवल स्थान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जाएगा।

6. एक टिकट पर बुक किए गए यात्रियों को अपग्रेड की गई श्रेणी में एक साथ इकहें स्थान भी दिया सकता है अथवा नहीं भी दिया जा सकता है।

7. गर्भवती महिलाएं स्वयं के लिए, वरिष्ठ नागरिक कोटे के अंतर्गत "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर निचली शायिका अपेक्षित करवा सकती हैं।

8. यात्रा के दौरान किसी एक यात्री को कोई एक जिर्धारित पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। (मूल रूप में)